न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बांसवाडा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ. इंद्रजीत यादव (आई.ए.एस.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रार्थना पत्र संख्या 49/2025 (जीसीएमएस 2025/123) सरकार बनाम राजेश वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

27.10.2025

उपस्थित –

1. श्री दिनेश पुरी, अधिवक्ता
2. श्रीमती किरण मीणा, अभियोजन अधिकारी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1995

आदेश

दिनांक 27.10.2025

उक्त प्रार्थना पत्र वाहन स्वामी प्रार्थी **श्री राजेश कुमार भूरिया पिता मानसिंह भूरिया निवासी उंकाला, तहसील कुशलगढ जिला बांसवाडा** के वाहन **महिन्द्रा बोलेरो पीकअप** रजिस्ट्रेशन सं. **RJ03 GA 7808** जो भार साधक अधिकारी, पुलिस थाना **गढी जिला बांसवाडा** द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 0182/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 9, 10 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम एवं धारा 11(1)(घ) पशुओ के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 के तहत जब्त किया था को सुपूर्दगी बाबत् प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर थानाधिकारी पुलिस थाना **गढी जिला बांसवाडा** से वाहन के सम्बन्ध में विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई।

दिनांक 27.10.2025 थानाधिकारी पुलिस थाना **गढी जिला बांसवाडा** की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई। प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। थानाधिकारी पुलिस थाना **गढी जिला बांसवाडा** द्वारा रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि पीकअप के अन्दर छः बैल ठसा ठस भरे हुए भरे हुए थे, बैलो को हीलने में भी परेशानी हो रही थी, बैलो को पीडा हो रही थी तथा छोटी मोटी चोट लगी हुई थी। सम्पूर्ण अनुसंधान एवं पत्रावली में संकलित साक्ष्यो से अभियुक्तगणो राजेश पिता मानसिंग भूरिया निवासी उकाला थाना कुशलगढ, मकन पिता कालू बारीया निवासी बोचडदा थाना कसारवाडी, कोदरलाल पिता झीथरा निवासी सुखेडा पाली बडी थाना कुशलगढ व महेश पिता बिजीया निवासी बोचडदा थाना कसारवाडी जिला बांसवाडा के खिलाफ अपराघ अन्तर्गत धारा 9 राजस्थान गौवंश अधिनियम 1995 व धारा 11(1)(घ) पशुओ के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 में जुर्म प्रमाणित होने से चार्जशीट नंबर 122 दिनांक 30.06.2025 दिनांक 26.09.2025 को माननीय सीजे एण्ड जेएम कोर्ट गढी में पेश किया गया है जो वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है। उपरोक्त वाहन की थाना हाजा के उक्त प्रकरण व अन्य प्रकरण में आवश्यकता नही है वाहन नियमानुसार छोडा जाये तो थाना हा[illegible]पत्ति नही है।

हस्तगत प्रकरण [illegible] में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट 0182/2025 में ज[illegible] प्रश्न निहित है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में सुनवाई कर निस्तारण किया जाना उ[illegible] प्रतित होता है।

उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गई। अभियोजन अधिकारी द्वारा कथन किया गया कि प्रार्थी द्वारा गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.12.03 13:12:31 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाडा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 2018 की धारा 6 'क' के अनुसार इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध किया जाये तो ऐसा अपराध करने के लिये उपयोग में लाया गया प्रवहन का कोई भी साधन अधिहरण के दायित्वाधीन होता है जिला कलक्टर सक्षम प्राधिकारी होने के नाते उक्त वाहन के अधिहरण के आदेश फरमाया जाकर जब्तशुदा वाहन को अधिहरण किया जावे।

इस पर वाहन स्वामी के अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि प्रार्थी उक्त वाहन का रजिस्टर्ड स्वामी है। अधिनियम की धारा 6 (क) में वर्णित प्रावधानो के अनुसार उक्त वाहन की सुपूर्दगी प्रार्थी को दी जावे। प्रार्थी द्वारा उक्त वाहन से कोई अवैध गौवंश परिवहन नही किया जा रहा था, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रकरण मे जब्तशुदा वाहन संख्या **RJ03 GA 7808** को रिलीज कराने की कृपा करावे। इसी इश्तदुआ के साथ वाहन स्वामी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस समाप्त की।

हमने पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। प्रकरण मे पुलिस की रिपोर्ट अनुसार वाहन में **6** गौवंश (बैल) भरकर परिवहन करना बताया है। वाहन में गौवंश परिवहन हेतु आवश्यक न्यूनतम मूलभूत सुविधाओं का अभाव पाया गया है, अधिकांश बैल घायल पाये गये।

इस प्रकार प्रकरण में असुरक्षित तरीके से गौवंश परिवहन किया जा रहा था, जिससे परिवहनरत गौवंश पर शारीरिक पीडा एवं गम्भीर क्षती कारित हुई है। इस कारण से अपराध अन्तर्गत धारा 9, 10 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत होना दर्शित है।

हमने संशोधन अधिनियम 2018 के प्रावधानो का चिंतन एवं मनन किया। संशोधित अधिनियम की 2018 की धारा 6 (क) की उपधारा (2) में उपधारा (1) निर्दिष्ट प्रवहण के ऐसे, साधन के बाजार मूल्य से अनधिक के जुर्माने का संदाय करने का विकल्प दिया जा सकेगा। इसके साथ ही हस्तगत प्रकरण में पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है जिससे यह तय किया जा सके कि प्रवहण के साधन के स्वामी को पूर्व में इस परन्तुक के अधिन विकल्प दिया जा चुका है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर हस्तगत पुलिस थाना **गढी जिला बांसवाडा** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट 0182/2025 धारा 9, 10 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 में जब्तशुदा वाहन के निस्तारण के संबंध में वाहन स्वामी **श्री राजेश कुमार भूरिया पिता मानसिंह भूरिया निवासी उंकाला, तहसील कुशलगढ जिला बांसवाडा** द्वारा जुर्माना राशि **रुपये 15000/– अक्षरे पन्द्रह हजार रुपया मात्र** के संदाय किये जाने पर प्रकरण में जब्तशुदा वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या **RJ03 GA 7808** को **रुपये 500000/– अक्षरे पाँच लाख रुपया मात्र** की जमानतनामा एवं सुपूर्दगीनामा पर निम्नानुसार विहित शर्तो –

1. सक्षम न्यायालय मे दौराने सुनवाई उक्त वाहन किसी अन्य को अन्तरित या हस्तांतरित नही किया जावेगा।
2. सक्षम न्यायालय मे दौराने सुनवाई वाहन के रंग रोगन और मॉडल में परिवर्तन या परिवर्धन नही किया जावेगा।
3. सक्षम न्यायालय द्वारा सुनवाई के दौरान उक्त वाहन तलब किये जाने पर वाहन स्वामी/ सुपूर्ददार स्वयं के खर्च पर उक्त वाहन माननीय न्यायालय में पेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.12.03 13:12:31 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर

Scanned with OKEN Scanner

करेगा।

उपरोक्तानुसार शर्तो पर सुपूर्दगी में दिये जाने का आदेश दिया जाता है। संबंधित वाहन स्वामी द्वारा आदेशानुसार जुर्माना राशि राजकोष में जमा करा चालान/ रसीद व अपेक्षित जमानतनामा व सुपूर्दगीनामा एक माह की अवधि में प्रस्तुत नही करने पर प्रकरण में जब्तशुदा वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या **RJ03 GA 7808** को नियमानुसार विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार जरिये निलामी निस्तारण कर प्राप्त आय को राजकोष में जमा कराया जावे। निर्णय की प्रति थानाधिकारी पुलिस थाना **गढी जिला बांसवाडा** को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **27.10.2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. इंद्रजीत यादव)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.12.03 13:12:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner